पश्चिम रेलवे
Western Railway

संख्या- निप./पेंशन अदालत – 2025

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय , रतलाम
दिनांक 01.10.2025

प्रति ,
सभी अधीनस्थ - रतलाम मंडल

विषय :- पेंशन अदालत –दिसंबर 2025
****

रेल्वे बोर्ड के निर्देशानुसार प्रत्येक मंडल पर पेंशन अदालत का आयोजन वर्ष मे दो बार जून और दिसम्बर माह मे मंडल स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भाति इस वर्ष भी मंडल पर पेंशन अदालत दिसंबर 2025 का आयोजन दिनांक 15.12.2025 (सोमवार) को प्रात: 11: 00 बजे से अनेक्सी हाल –रतलाम मे किया जायेगा।

रतलाम मंडल से सबंधित जो भी पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी जिनके पास निपटान बकाया राशि , पेंशन/ पारिवारिक पेंशन या पेंशन के संशोधन आदि के सबंध में कोई भी शिकायत है, वे अपने आवेदन दस्तावेजो के साथ तीन प्रतियों मे प्रस्तुत कर सकते है। जो पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी अपना आवेदन देना चाहते है या डाक के माध्यम से भेजना चाहते है, वे " वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंशन अदालत दिसंबर-2025) स्था./ निपटारा अनुभाग, दूसरी मंजिल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यलय दो बत्ती , रतलाम (म.प्र) 457001 " पर **दिनांक 31.10.2025 तक या उससे पहले दिये गये पते पर जमा करा सकते है ।**

पेंशन अदालत मे नीतिगत मामले को नही उठाया जा सकता है। ऐसी शिकायतें जो कि पेंशन अदालत से सबंधित नही है जैसे अनुकम्पा नियुक्ति , जन्म दिनांक मे संशोधन, सेवा के दोरान चयन/उपयुक्ता परीक्षण मे अयोग्यता, सेवा के दोरान डीएआर नियमों के तहत लगाये गये दंड , न्यायालय मे विचाराधीन मामले , सेवा के दौरान अवकाश स्वीकृत के मानले , को पेंशन अदालत मे नही उठाये जाये।

पेंशन भोगी अपनी शिकायत केवल व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्य के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते है। हालाकि अशिक्षित पेंशनभोगी , विधवा या नाबालिग के मामले में , जिनके लिये अदालत के सक्षम अपने मामलों को प्रभावी ढंग से तैयार करना और प्रस्तुत करना संभव नही हो सकता है , ऐसे मामलों में अगर वे चाहें तो प्रशासन से सहायता ले सकते है । **पेंशन अदालत मे आवेदन भेजने की अंतिम दिनांक 31.10.2025 है।**

सभी अधीनस्थ को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इसका व्यापक प्रचार किया जाए और किसी भी पेंशनभोगी / कर्मचारी को या उनके परिवार को उनकी देखभाल करता है , को बताया जाए। अधिसूचना की प्रति नोटीस बोर्ड पर लगाई जाए।

प्रतिलिपि:- मंडल मंत्री – वे.रे. म.स/ वे.रे.ए.यू , सचिव – अजा/अजजा, ओबीसी एसोसियेशन -रतलाम मंडल
मु.क.एवं क.निरीक्षक – रतलाम

01.10.25

(दिनेश कुमार कसेरा)
सहायक कार्मिक अधिकारी (III)
कृते: वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी रतलाम

प्रोफार्मा- "पेंशन अदालत – दिसंबर 2025"

प्रति,
वरिष्ट मंडल कार्मिक अधिकारी
स्थापना/ निपटारा अनुभाग, दूसरी मंजिल,
मंडल रेल प्रबंधक कार्यलय दो बत्ती ,
रतलाम (म.प्र) 457001

1	आवेदक का नाम	
2	भूतपूर्व रेल कर्मचारी का नाम	
3	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
4	विभाग	
5	सेवानिवृत्ति के समय कार्यालय	
6	सेवानिवृत्ति की प्रकृति (VR/NR/Death)	
7	सेवानिवृत्ति की तिथि	
8	पीएफ नम्बर	
9	पीपीओ नम्बर	
10	पेंशनभोगी /पारिवारिक पेंशन भोगी	
11	मृतक रेल कर्मचारी के साथ सबंध (पारिवारिक पेशन भोगी के लिए)	
12	भूतपूर्व रेल कर्मचारी की मृत्यु दिनांक	
13	रेलवे केर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन	
14	वेतनमान (सेवानिवृत्ति पर /सेवा में मृत्यु के समय)	
15	आधार कार्ड नम्बर	
16	पेन कार्ड नम्बर	
17	मोबाईल नम्बर	
18	ई-मेल आईडी	
19	वर्तमान पता पिन कोड सहित	

20	शिकायत का विवरण ....

दस्तावेजों की प्रतिया

1 .सेवा प्रमाण पत्र
2. आरईएलएचएस / पारिवारिक पहचान पत्र कि प्रति
3. पान कार्ड
4. आधार कार्ड
5. सेवानिवृत्ति के समय जारी प्रारंभिक पीपीओ
6. संशोधित पीपीओ
7. बैक पास बुक
8. बैक द्वारा जारी लेटेस्ट पेंशन पर्ची
9. रेलवे कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
10. कोई अन्य दस्तावेज (जो प्रकरण से सम्बंधित हो)

हस्ताक्षर ....
नाम...
दिनांक ....